संख्या -39/सू0अ0 19/84-2-2013-1(विविध)/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 04 अक्टूबर, 2013

विषय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11(7)2013-सीपीयू, दिनांक 13-9-2013 एवं इसके साथ संलग्न श्री पी0के0 डालमिया, सी-81, सेक्टर-19 नोयडा (गौतमबुद्धनगर) के पत्र दिनांक 26-08-2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री डालमिया के पत्र के बिन्दु संख्या 1 तथा 2 के राज्य आयोग/जिला फोरम से सम्बन्धित होने के कारण प्रकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत आपको अग्रतर कार्यवाही हेतु अंतरित किया जाता है।

संलग्नक - यथोक्त ।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी ।

पृष्ठांकन संख्या- 39/सू0अ0 19(1)/84-2-2013-1(विविध)/2006, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र दिनांक 13-09-2013 के क्रम में।

(2) श्री पी0के0 डालमिया, सी-81, सेक्टर-19 नोयडा (गौतमबुद्धनगर)-201301

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in